कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा

पत्रांक/मान्यता/1458-64 दिनांकः 02/05/2025

प्रबंधक
राधा स्वामी जूनियर हाई स्कूल,
छाता, मथुरा
उत्तर प्रदेश
281401

विषयः मान्यता नवीनीकरण के संबंध में

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक 02/05/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया गया है| उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक मान्यता/शि स०/1458-64 दिनांक 18/06/2001 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मान्यता प्रदान की गयी थी|

उक्त के संबंध में अवगत कराना है इस कार्यालय के उपरोक्त द्वारा प्रदान की गई अस्थाई मान्यता ही स्थाई मान्यता होने तक प्रभावी मानी जाएगी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

RADHA SWAMI PUBLIC SCHOOL CHHATA MATHURA
PRINCIPAL

RADHA SWAMI PUBLIC SCHOOL CHHATA MATHURA
MANAGER

प्रेषक:

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

सेवामें:

प्रबन्धक
....
राधास्वामी प्राथमिक ~~विद्यालय~~ स्कूल
....
जी०टी०रोड छाता (मथुरा)
....

पत्रांक सं0/मान्यता/ 4150-60/2007-08 दिनांक 2/2/09

विषय: अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय को जनपदीय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार वर्ष.07-08.. तक प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी ।

राजाज्ञा संख्या 193/15-5-98-18 एस(7)89 दिनांक 18 सितम्बर 1998 में निहित प्राविधानुसार आपके विद्यालय को प्रति वर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नही है । आपके विद्यालय को प्रदत्त अस्थायी मान्यता ही स्थायी मान्यता प्राप्ति होने तक प्रभावी मानी जावेगी ।

अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 5 वर्ष में स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। तथा स्थायी मान्यती हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा।

SIGNATURE
NAME
DATE

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

पृ0सं0/मान्यता/ /2007-08 तद् दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा
2- नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

RADHA SWAMI PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
CHHATA MATHURA

RADHA SWAMI PUBLIC SCHOOL
MANAGER
CHHATA MATHURA

Annexure

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

मथुरा

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री राधा स्वामी जूनियर हा0 स्कूल

छाता – मथुरा

पत्रांक: मा0 / 1458 - 64 /2001–2002/ दिनांक : 18/6/2001

विषय : आशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में)

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं. 646/15.6.97–18 (एम) 89 दि. 13 अगस्त 1997 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति की बैठक दि. 30.5.2001 में लिए गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है ।

1. उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक मान्यता /20813–889/89–90 दि. मार्च 21 –1990 के द्वारा दिये आदेशों के अनुपालन में मान्यता प्रदान की जाती है ।
2. [illegible] को विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन कराने होंगे।
3. विद्यालय में बे. शि. परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रमों में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ।
4. बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सयम–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन संस्थाधिकारियों को करना होगा।
5. विद्यालय के शिक्षक /शिक्षणोंत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महँगाई भत्ता दिया जायेगा जो परिषदीय के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे वेतन का भुगतान बैंक द्वारा चैक के माध्यम से उनके खातें में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा ।
6. विद्यालय में शिक्षा विभाग के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा ।
7. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनगरी लिपि में होगा हिन्दी अनिवार्य विषय के रुप में पढ़ाई जायेगी । सभी जाति वर्ग धर्म जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा ।
8. विद्यालय को एक प्रधानाध्यापक चार सहायक अध्यापक एवं एक लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्जित किये जाते है ।
9. विभागीय नियमों /आदेशों की अवहेलना करने पर तथा किसी तथ्य के छुपने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।

जे.के. वर्मा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

मथुरा

[illegible] / 2001–02 दिनाँक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

1. शिक्षा निर्देशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निर्देशक बे. आगरा ।
3. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ.प्र. इलाहाबाद ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी /स. बे. शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक, मथुरा।
6. गार्ड फाईल

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

RADHA SWAMI PUBLIC SCHOOL, CHHATA MATHURA — PRINCIPAL

RADHA SWAMI PUBLIC SCHOOL, CHHATA MATHURA — MANAGER